


# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अनुमति संख्या 1296/2010, 1297/2010 एवं 1298/2010/जयपुर

उनका - मे ० श्रीकृष्ण भोटस, जयपुर बनान विधिविक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, राजस्थान तृतीय, जयपुर

<p><b>तारीख</b> हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय हनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु</p>
<p>08.04.2015</p>	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u>  <u>श्री मदन लाल - सदस्य</u>  <u>श्री मनोहर पुरी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी प्रार्थी अनुपरिथत, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी.पी. औंड्रा उपराजकीय अभिभाषक उपरिथत।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एमेनेस्टी स्कीम वर्ष 2015 अधिसूचना संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं। इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्यान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलों को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपीलों को विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रत्युत अपील संख्या 1296/2010, 1297/2010 एवं 1298/2010/जयपुर जरिये विद्वाल (Withdrawal) खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	<p>          (मनोहर पुरी)          सदस्य</p> <p>          (मदन लाल)          सदस्य</p>